

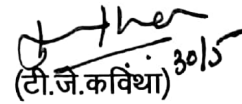
कार्यालय आदेश

मुख्य वन संरक्षक, जयपुर के पत्रांक 2771 दिनांक 28.05.2025 से प्राप्त प्रस्तावानुसार संजय वन को पुनर्विकसित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में निम्नानुसार बजट आवंटित किया जाता है:-

बजट मद	मुख्य वन संरक्षक	आवंटित बजट (राशि रु. लाखों में)
4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय, 02- पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव, 112-सार्वजनिक उद्यान, (02)-बोटनीकल गार्डन, (01)-वन विभाग के माध्यम से, 17-वृहद् निर्माण कार्य (राज्य निधि)	मुख्य वन संरक्षक, जयपुर	200.00

उक्त आवंटित बजट का उपयोग करते समय निम्न दिशा-निर्देशों की पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

- उक्त आवंटन में यदि बचत हो तो वह राशि इस आवंटन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर समर्पित कर दी जायें।
- कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम स्तर से आवश्यक रूप से जारी की जावे अथवा करा ली जावें तथा राज्य सरकार के वित्तीय निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जायें।
- बजट का उपयोग सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों, वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर उपापयन (Procurement) एवं व्यय के संबंध में जारी परिपत्रों, कोष नियम एवं अन्य संबंधित नियमों के अनुसार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों की पालना करते हुए बजट सीमा में करे। इन नियमों/आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारी अनियमितताओं के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
- वन विकास कार्यों को यथाशीघ्र प्रारम्भ करवाना सुनिश्चित किया जावे।


(टी.जे.कविथा) 30/5

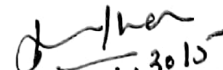
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 21 (9)2025-26/विकास/प्रमुखस/ 1340-1344

दिनांक: 30/05/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- मुख्य वन संरक्षक, जयपुर
- वित्तीय सलाहकार, वन विभाग, जयपुर।
- प्रभारी अंकमिलान (लेखा शाखा)/संकलन शाखा (सांख्यिकी अनुभाग)/कम्प्यूटर शाखा/रक्षी पत्रावली।


30/5

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास)
राजस्थान, जयपुर